भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 301
जिसका उत्तर मंगलवार 26 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है

मशीन टूल उद्योग

301. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में मशीन टूल उद्योग की क्षमता संवर्धन में तेजी लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में विभिन्न उद्योगों की भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) कार्यों को शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): जी हां। देश में मशीन टूल विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस आवश्यक नहीं है। वर्तमान में, मशीन टूल उद्योग में ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। इसके अलावा, केपिटल गुड्स जिसमें मशीन टूल उद्योग एक बेहद महत्वपूर्ण सब-सेक्टर के रूप में शामिल है, की रणनीतिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भारतीय केपिटल गुड्स उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि की स्कीम भारी उद्योग विभाग द्वारा आरंभ की गई है। उक्त स्कीम के अंतर्गत, मशीन टूल उद्योग के लिए एकीकृत औद्योगिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं (आईआईएफसी) स्थापित करने का घटक है और टुमकुर के निकट मशीन टूल पार्क स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार का प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। आशा है कि इससे भारत में मशीन टूल उद्योग की क्षमता में बढ़ोतरी होगी।

आईआईएफसी के अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का भी घटक है जिसके तहत 11 मशीन टूल प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए उद्योग के छह भागीदारों के साथ आईआईटी मद्रास में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाने को भी सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

संभावना है कि उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित करने के परिणामस्वरूप आयात प्रतिस्थापित होगा और मशीन टूल्स के घरेलू विनिर्माण की क्षमता में वृद्धि होगी।

स्कीम का ब्यौरा और उसके घटक भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट dhi.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) और **(घ):** भारत सरकार ने केपिटल गुड्स उद्योग सहित विनिर्माण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग पर अनुप्रयुक्त अनुसंधान के एक विश्वविख्यात संगठन - मेसर्स फ्रॉनहॉफर सोसाइटी, जर्मनी के साथ 05 अक्तूबर, 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 'भारतीय केपिटल गुड्स उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि की स्कीम' के प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम के घटक के अंतर्गत मशीन टूल सेक्टर में मेसर्स फ्रॉनहॉफर सोसाइटी, जर्मनी के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। दो परियोजनाएं नामतः (क) फोर गाइडवे सीएनसी लेथ का उन्नयन और (ख) टर्न मिल सेन्टर की उच्चतर सी-एक्सिस का अधिग्रहण क्रमशः ₹4.4 करोड़ और ₹1.1 करोड़ के परियोजना परिव्यय से मेसर्स फ्रॉनहॉफर सोसाइटी, जर्मनी के सहयोग से की जानी अनुमोदित की गई हैं।

*****